भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
अहमदाबाद

पूर्व-निविदा बैठक की कार्यवाही – पर्याप्त संख्या में पूर्णतः आवृत बंद नकद वैन/बंद वाहनों की आपूर्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक अहमदाबाद से भारत के विभिन्न स्थानों तक बैंक नोटों एवं सिक्कों के परिवहन हेतु तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अहमदाबाद में श्रमिकों की आपूर्ति

ई-निविदा संख्याएं. –

1. RBI/Ahmedabad Regional Office/Issue/1/25-26/ET/883
2. RBI/Ahmedabad Regional Office/Issue/2/25-26/ET/884
3. RBI/Ahmedabad Regional Office/Issue/3/25-26/ET/885

उल्लिखित ई-निविदा के लिए पूर्व-निविदा बैठक का आयोजन 20 फरवरी, 2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के निर्गम विभाग में निर्धारित किया गया था।

2. पूर्व-निविदा बैठक के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित अधिकारीगण तथा इच्छुक बोलीदाता उपस्थित थे:

क्रम	नाम एवं पदनाम (भारतीय रिज़र्व बैंक से)
1	श्री राजेन्द्र बालौत, प्रभारी उप महाप्रबंधक
2	श्री दिलीप बी एस राठोड़, सहायक महाप्रबंधक
3	श्री सारंग सालुंके, सहायक प्रबंधक
4	श्री पाराशर व्यास, वरिष्ठ सहायक

क्रम	संस्था का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1	मेसर्स राज ट्रांसपोर्ट सर्विस	श्री महेश शर्मा
2	मेसर्स अर्पित गुड्ज़ कैरियर	श्री अर्पित शर्मा

3. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्न तथा बैंक अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं:-

क्रम	संभावित बोलिकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न	आरबीआई का स्पष्टीकरण
1	क्या सिक्कों में बीजी राशि में परिवर्तन होगा?	यह स्पष्ट किया गया कि निविदा दस्तावेज़ के अनुभाग V में उल्लेखित अनुसार, बैंक को अनुबंध अवधि के दौरान बीजी राशि को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित है।
2	क्या पीएसएआरए लाइसेंस अनिवार्य है?	यह स्पष्ट किया गया कि यह अनिवार्य नहीं है।
3	क्या श्रमिक शुल्क में संशोधन होगा?	श्रमिक शुल्क सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार होंगे।
4	कार्य के दायरे के विभाजन से संबंधित शर्तें क्या हैं?	यह संतोषजनक रूप से बोलीदाता को संप्रेषित किया गया, जैसा कि अनुभाग 'निविदाकारों के लिए निर्देश' में उल्लिखित अनुच्छेद 'बैंक का अधिकार' में उल्लेखित है।
5	क्या श्रमिक लाइसेंस आवश्यक है?	यह स्पष्ट किया गया कि श्रमिक लाइसेंस की आवश्यकता गुजरात राज्य के विधियों एवं अधिनियमों पर निर्भर करती है।
6	क्या खाली ट्रकों की यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा?	भुगतान केवल उन ट्रकों के लिए किया जाएगा जो धनराशि से लदे होंगे। खाली ट्रकों की यात्रा के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

नोट:

- उपर्युक्त पूर्व-निविदा बैठक की कार्यवाही निविदा दस्तावेज़ का भाग होगी।
- निविदा दस्तावेज़ की नियम एवं शर्तें तथा विनिर्देश यथावत रहेंगे।
- उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी हेतु जारी किए गए हैं। फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करना निविदा दस्तावेज़ तथा उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।